न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/ 2019
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2019/00035

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–
श्रीमती सोमली पत्नी श्री रंगजी जाति भील निवासी बडवी, तहसील व जिला बांसवाड़ा।	बनाम	1. तहसीलदार बॉसवाडा 2. श्री महीपाल सिंह पिता श्री चन्द्रवीर सिंह निवासी बॉसवाडा हाल 99 युपनी ड्राईव औटावा, ओन्टारियो, के 2 जे 5 एच 3 कनाडा।

उपस्थित

श्री देवेन्द्र कुमार निगम, एडवोकेट	श्री अशोक मेहता एड्वोकेट श्री भुपेन्द्र जैन राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

दिनांक :– 18–01–2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 404 दिनांक 16.01.2012 स्वीकृत किया गया है, श्री महिपाल पिता श्री चन्द्रवीर सिंह राजपुत निवासी बॉसवाडा द्वारा श्रीमती सोमली पत्नी रंगजी निवासी बडवी के नाम किया गया जिसमें 384/4 मूल नम्बर रकबा 15.02 विघा में से 1.01 विघा भूमि नया नम्बर 572/384/4 अंकित किया गया है। नामान्तरकरण विक्रय पत्र पंजीयन सं. 2011008283 दिनांक 27.12.2011 के आधार पर किये जाने का अंकन है, जबकि इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता श्री महिपाल सिंह के कृषि भूमि खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 विघा में से 1.01 विघा भूमि का बेचान किये जाने से जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह बेचान की गई भूमि के अलावा दुसरी भूमि एवं विक्रय के विपरीत हो गया है। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम बडवी खाता सं. [illegible] पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 विघा में से 1.01 विघा भूमि का नामान्तरकरण [illegible]लार्थी के नाम किया जाकर तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

तरमीम भी कब्जे अनुसार न्याय हित में की जावे, एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे। अपीलार्थी द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम प्रावधानुसार अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोण्डेण्ट को समन जारी किये गए।

रेस्पोडेंट संख्या 1 तहसीलदार बॉसवाडा ने अपने जवाब में बताया कि नामान्तरकरण संख्या 404 दिनांक 16.01.2012 में आराजी नंबर 384/4 तथा कॉलम सं. 10 में 572/384/4 रकबा 1.01 विघा अंकित है, तथा कॉलम सं. 14 में वर्णित विक्रय पत्र दिनांक 27-12-2011 से मिलान होकर समान है किन्तु विक्रय पत्र में विक्रय की गई भूमि का खसरा नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में 1.01 बिघा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाक 16.01.2012 व विक्रय पत्र में अंकित खसरा नंबर में भिन्नता है। नामान्तरकण संख्या 404 दिनांक 16.01.2012 दायर करते समय त्रुटी हुई है।

रेस्पोडेंट संख्या 2 श्री महिपालसिंह पुत्र स्व.श्री महारावल द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी श्री दिलीप सिंह के मार्फत अपने खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बडवी खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में से 1.01 बिघा को रुपया 50,000/- में विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित कर पंजीयन सं. 2011008283 दिनांक 27-12-2011 पंजीयन करवा दिया है।

दिनांक 11-01-2021 को बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 404 दिनांक 16.01.2012 स्वीकृत किया गया है, श्री महिपाल पिता श्री चन्द्रवीर सिंह राजपुत निवासी बॉसवाडा द्वारा श्रीमती सोमली पत्नी रंगजी निवासी बडवी के नाम किया गया जिसमें 384/4 मूल नम्बर रकबा 15.02 बिघा में से 1.01 बिघा भूमि नया नम्बर 572/384/4 अंकित किया गया है। नामान्तरकरण विक्रय पत्र पंजीयन सं. 2011008283 दिनांक 27.12.2011 के आधार पर किये जाने का अंकन है। जबकि इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता श्री महिपाल सिंह के कृषि भूमि खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में से 1.01 बिघा भूमि का बेचान किया है। इस प्रकार जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह बेचान की गई भूमि के अ[illegible] दूसरी भूमि एवं विक्रय के विपरीत हो गया है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि विक्रय[illegible] के द्वारा क्रय की गई भूमि ग्राम बडवी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में से 1.01 बिघा भूमि का नामान्तरकरण अपीलार्थी के नाम किया जाकर तद्नुसार तरमीम भी कब्जे अनुसार न्याय हित में की जावे, एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरण को निरस्त किया जावे।

रेस्पोडेंट सं.1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा कथन किया कि विक्रय पत्र में विक्रय की गई भूमि का खसरा नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में 1.01 बिघा दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाक 16.01.2012 व विक्रय पत्र में अंकित खसरा नंबर में भिन्नता है। नामान्तरकण संख्या 404 दिनांक 16.01.2012 दायर करते समय त्रुटी हुई है।

रेस्पोडेंट संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी श्री दिलीप सिंह के मार्फत अपने खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बडवी खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में से 1.01 बिघा को रुपया 50,000/– में विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित कर पंजीयन सं. 2011008283 दिनांक 27–12–2011 पंजीयन करवाया गया है। यदि नामान्तरकरण में कोई त्रुटि हुई है तो वह राजस्व विभाग के स्तर पर हुई है।

अपील जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

हमने प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। श्री महिपालसिंह पुत्र स्व.श्री महारावल द्वारा अधिकृत पॉवर ऑफ अटोर्नी श्री दिलीप सिंह के मार्फत अपने खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम बडवी खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में से 1.01 बिघा को रुपया 50,000/– में विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित कर पंजीयन सं. 2011008283 दिनांक 27–12–2011 पंजीयन करवाया है। तहसीलदार बॉसवाडा द्वारा नामान्तरकरण सं. 404 दिनांक 16.01.2012 स्वीकृत किया गया है, जिसमें श्री महिपाल पिता श्री चन्द्रवीर सिंह राजपुत निवासी बॉसवाडा द्वारा श्रीमती सोमली [illegible] निवासी बडवी के नाम किया गया जिसमें 384/4 मूल नम्बर रकबा 15.02 बिघा में से 1.01 [illegible] भूमि नया नम्बर 572/384/4 अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

किया गया है। नामान्तरकरण विक्रय पत्र पंजीयन सं. 2011008283 दिनांक 27.12.2011 के आधार पर किये जाने का अंकन है। जबकि इस विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता श्री महिपाल सिंह के कृषि भूमि खाता सं. 93 नया व 80 पुराना के सर्वे नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में से 1.01 बिघा भूमि का बेचान किया है। अतः जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह बेचान की गई भूमि के अलावा दुसरी भूमि एवं विक्रय के विपरीत हुआ है। विक्रय पत्र में विक्रय की गई भूमि का खसरा नंबर 320/3 रकबा 16.00 बिघा में 1.01 बिघा दर्ज है। तहसीलदार बॉसवाडा के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाक 16.01.2012 व विक्रय पत्र में अंकित खसरा नंबर में भिन्नता है। नामान्तरकण संख्या 404 दिनांक 16.01.2012 दायर करते समय त्रुटी हुई है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 404 दिनाक 16.01.2012 खारिज किया जाकर तहसीलदार बॉसवाडा को आदेशित किया जाता है कि विक्रय दस्तावेज दिनांक 27–12–2011 अनुसार अपीलान्ट के पक्ष मे नये सीरे से नामान्तरकरण स्वीकृत करे। इस प्रकरण में गलत नामान्तरकरण दर्ज करने, जॉच करने एवं स्वीकृत करने के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सम्बन्धित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कार्यालय हाजा को आदेशित किया जाता है। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) कार्यालय हाजा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 18–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.01.21 17:21:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner